न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:–101/2023

रजू दिनांकः– 27.10.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

शिवराम पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. गिरवर पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट सायल

निर्णय दिनांकः– .05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरेडा की आराजी ख0न0 1735/636/0.02, 1736/636/0.34 मे सायल 1/60 हिस्से का तथा ख0न0 1061/0.15, 1067/0.04, 1068/0.07, 1069/0.03, 1070/0.08, 1071/0.11, 1072/0.03, 1073/0.02, 1166/0.11, 1243/0.11, 130/0.46, 131/0.17, 132/0.05, 150/0.15, 151/0.43, 152/0.34, 166/0.15, 167/0.01, 168/0.14, 271/0.01, 271/1580/0.05, 272/0.41, 273/0.31, 370/0.06, 371/0.05, 372/0.08, 376/0.11, 380/0.09, 381/0.07, 382/0.10, 383/0.09, 542/0.11, 543/0.09, 544/0.10, 545/0.22, 546/0.24, 547/0.17, 551/0.28, 556/0.20, 557/0.02, 584/0.07, 585/0.03, 586/0.06, 587/0.06, 596/0.15, 604/0.25, 608/0.09, 609/0.10, 669/0.01, 670/0.10, 840/0.11, 841/0.12, 842/0.28, 960/0.11, 961/0.20, 962/0.08, 97/0.65, 998/0.19, है0 मे 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से मे गैरसयल न0 1 व मूल वादपत्र के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो गया है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि वर्णित का सायल व गैरसायल न0 1 के मध्य विधिवित बटवारा नही होने के कारण आये दिन डौल मेड को लेकर विवाद बना रहता है। तथा गैरसायल न0 1 सायल के कब्जे की आराजी पर कब्जा करने की फिराक मे रहता है। यदि गैरसायल को पाबन्द नही किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

बॉका दिनांक 20.10.2023 का है कि सायल ने गैरसायल न0 1 से वर्णित आराजीयात का बटवारा करवाने के लिये कहा तो गैरसायल न0 1 ने [illegible] करवाने के लिये कहा तो गैरसायल न0 1 ने इन्कार कर दिया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र [illegible] हुआ है।

प्राईमाफेसी केश सायलान के पक्ष मे है सुविधा [illegible] संतुलन सायलान के पक्ष [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ख0न0 1735/636/0.02, 1736/636/0.34, 1061/0.15, 1067/0.04, 1068/0.07, 1069/0.03, 1070/0.08, 1071/0.11, 1072/0.03,

1073/0.02, 1166/0.11, 1243/0.11, 130/0.46, 131/0.17, 132/0.05, 150/0.15, 151/0.43, 152/0.34, 166/0.15, 167/0.01, 168/0.14, 271/0.01, 271/1580/0.05, 272/0.41, 273/0.31, 370/0.06, 371/0.05, 372/0.08, 376/0.11, 380/0.09, 381/0.07, 382/0.10, 383/0.09, 542/0.11, 543/0.09, 544/0.10, 545/0.22, 546/0.24, 547/0.17, 551/0.28, 556/0.20, 557/0.02, 584/0.07, 585/0.03, 586/0.06, 587/0.06, 596/0.15, 604/0.25, 608/0.09, 609/0.10, 669/0.01, 670/0.10, 840/0.11, 841/0.12, 842/0.28, 960/0.11, 961/0.20, 962/0.08, 97/0.65, 998/0.19, है0 मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे आराजी को रहन व्यय नही करे तथा शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 2 पैरोकार सरकार उप0, गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल 1/60 व 1/30 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से मे गैरसयल न0 1 व मूल वादपत्र के प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा हो गया है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि वर्णित का सायल व गैरसायल न0 1 के मध्य विधिवित बटवारा नही होने के कारण आये दिन डौल मेड को लेकर विवाद बना रहता है। तथा गैरसायल न0 1 सायल के कब्जे की आराजी पर कब्जा करने की फिराक मे रहता है। यदि गैरसायल को पाबन्द नही किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्राईमा फैसी केस सायल के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे कि सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम मेरेडा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 27 मे सायल 1/60 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1, 1/60 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य दावे के प्रतिवादीगण सहखतोदार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 91 मे सायल 1/30 हिस्से का तथा गैरसायल न0 1, 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य दावे के प्रतिवादीगण सहखतोदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल गैरसायल न0 1 की तामिल स्वंय के द्वारा प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित न्यायालय रहा है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायल न0 1 को ता दावा फैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मेरेडा की आराजी 1735/636/0.02, 1736/636/0.34, 1061/0.15, 1067/0.04, 1068/0.07, 1069/0.03, 1070/0.08, 1071/0.11, 1072/0.03, 1073/0.02, 1166/0.11, 1243/0.11, 130/0.46, 131/0.17, 132/0.05, 150/[illegible]/0.43, 152/0.34, 166/0.15, 167/0.01, 168/0.14, 271/0.01, 271/1580/0.0[illegible], 272/0.41, 273/0.31, 370/0.06, 371/0.05, 372/0.08, 376/0.11, 380/[illegible]/0.10, 383/0.09, 542/0.11, 543/0.09, 544/0.10, 545/0.22, 546/0.24, 547/0.17, 551/0.28, 556/0.20, 557/0.02, 584/0.07, 585/0.03, 586/0.06, 587/0.06, 596/0.15, [illegible]04/0.25, 608/0.09, 609/0.10, 669/0.01, 670/0.10, 840/0.11, 841/0.12, 842/0.28, 960/0.11, 961/0.20, 962/0.08, 97/0.65, 998/0.19, है0 मे सायल के हिस्से तक कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।